ग्राम पंचायत, गुम्मा विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD / 2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गुम्मा, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान

क0 सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति कृष्णा देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्रीमति मीरा देवी	23.1.16 से लगातार

सचिव

क0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री लेख राम	1.4.13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत गुम्मा के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	9	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.11
2	10	13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोग न करना	1.66
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	1.30
4	14(घ)	मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से अधिक भुगतान करना	0.63

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत गुम्मा, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी और मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.7.2016 से 16.7.2016 व 18.7.16 को ग्राम पंचायत, गुम्मा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 12/13, 3/15, 3/16 तथा माह 12/13, 5/14, 1/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत गुम्मा, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹8000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0–1 दिनांक 16.7.16 द्वारा सचिव, पंचायत गुम्मा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तिय स्थिति

ग्राम पंचायत गुम्मा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तिय स्थिति निम्न प्रकार थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है:–

{1} स्व स्त्रोत व विविध अनुदानः– ग्राम पंचायत गुम्मा के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 तक स्व स्त्रोतों व विविध अनुदान **(खाता ''क'')** की वित्तिय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013–14	334784	871110	1205894	645419	560474
2014–15	560475	831474	1391949	562806	829143
2015–16	829143	1041292	1870435	941124	929311

{2} अनुदानः– ग्राम पंचायत गुम्मा के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता ''ख'')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है।

अनुदानों का विस्तृत विवरणः–

अनुदान का नाम	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
मनरेगा	2013–14	180294.20	2256378	2436672.20	2381729	54943.20
	2014–15	54943.20	1623283	1678226.20	1676833	1393.20
	2015–16	1393.20	755863	757256.20	757251	5.20

अनुदान का नाम	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
वाटर शैड	2013–14	0	80301	80301	10948	69353
	2014–15	69353	46987	116340	105512	10828
	2015–16	10828	443	11271	0	11271

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत गुम्मा की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैक समाधान विवरणी

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, गुम्मा द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹3736 का अन्तर था ।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''–पैरा 4(1)	**929311**
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''–पैरा 4(2) (**5.2+11271**)	11276.20
	कुल योग	**940587.20**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेष (परिशिष्ट –2) :–		**944323.20**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)		**3736**

अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना

(क) रोकड वही का निर्माण नियमानुसार न करना

ग्राम पंचायत गुम्मा की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) के अनुसार रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत गुम्मा के लेखों की पड़ताल में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु तीन रोकड़ बहियों का निमार्ण किया गया है, जोकि नियमों के विरूद्व है। अतः नियमों के विरूद्व तीन रोकड बहियों का निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही का करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) नियमों के विरूद्व दस बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से **खाता ''क''** में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा **खाता ''ख''** में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत गुम्मा में दो के स्थान पर **परिशिष्ट –2** में वर्णित दस बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

7 निवेश

सचिव ग्राम पंचायत, गुम्मा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय का प्राक्लन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्लन उपरोक्त वर्णित निमय के अनुसार तैयार करने के स्थान पर इसे मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया जा रहा है। अतः बजट प्राकलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्लन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की ₹.11 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सचिव, ग्राम पंचायत, गुम्मा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की निम्न विवरणानुसार **₹10700** वसूली हेतु शेष थी।

1 सम्पती कर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	90	4960	5050	4460	590
2014—15	590	4950	5550	4720	830
2015—16	830	4960	5790	140	**5650**

2 दुकान का किराया

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013—14	4000	18000	22000	22000	———
2014—15	———	24000	24000	24000	———
2015—16	——	24600	24600	19550	**5050**
		कुल योग (1+2)			**10700**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

10 13वें व 14वें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान की ₹1.66 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा 13वें व 14वें वितयोग से प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट–4}** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की **₹**165893 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.30 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹129786 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	15(1)
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)

14 विविध अनियमितताएं

(क) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।

(ख) वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह में मरनेगा के निम्नलिखित मस्ट्रोलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएंः–

क्रम सं0	माह	मस्ट्रोल सं0	राशि	रोकड वही की पृष्ठ सं0
1	**12/13**	836	**6076**	**130**
2	**12/13**	996—97	**6076**	**130**
3	**12/13**	1076	**3038**	**130**
4	**12/13**	1011	**6076**	**131**
5	**12/13**	1109	**3038**	**132**
6	**12/13**	1202	**868**	**132**
7	**12/13**	1676—77	**1956**	**133**
8	**5/14**	89—90	**3038**	**08**

9	**5/14**	261	**2439**	**08**
10	**1/16**	1321	**1084**	**49**
11	**1/16**	1429	**2168**	**49**
12	**1/16**	674	**1897**	**49**
13	**1/16**	1160	**3794**	**49**
14	**1/16**	1226	**1304**	**52**
15	**1/16**	1672	**815**	**52**
16	**1/16**	552	**1304**	**52**
17	**1/16**	1427	**3794**	**52**
18	**1/16**	1227	**2710**	**52**
19	**1/16**	1433	**272**	**53**
20	**1/16**	1498	**1304**	**53**
21	**1/16**	1666	**3794**	**53**
22	**1/16**	1670	**1304**	**53**
23	**1/16**	2471	**1467**	**54**
24	**1/16**	1673	**2282**	**54**
25	**1/16**	93	**978**	**54**
26	**1/16**	1035	**2710**	**54**
27	**1/16**	696	**1304**	**54**
28	**1/16**	146	**1304**	**55**
29	**1/16**	549	**1897**	**55**
30	**1/16**	553	**978**	**56**
31	**1/16**	673	**1897**	**56**
32	**1/16**	1031	**1304**	**57**
33	**1/16**	148	**1355**	**57**
34	**1/16**	671–72	**3794**	**58**

(ग) वांछित अभिलेख तैयार न करना

निम्नलिखित अभिलेखों को पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः इन्हें तैयार करके आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाएः–

कम सं0	**अभिलेख का नाम**	**विवरण**
1	अग्रिम रजिस्टर	स्वःस्त्रोत निधि
2	स्टॉक रजिस्टर	स्वःस्त्रोत निधि
3	लेजर	स्वःस्त्रोत निधि
4	स्टॉक रजिंस्टर	वाटर शैड

(घ) मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य (कार्य प्रगति) से ₹0.63 लाख का अधिक भुगतान करना

नियमानुसार मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है, उसके मुल्य के बराबर उनके द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है अन्यथा किये गये कार्य मूल्य के बराबर ही भुगतान किया जा सकता है। अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में विभिन्न मस्ट्रौलों पर रखे गये मजदूरों को किये गये भुगतान तथा भुगतान के एवज में उनके द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि मजदूरों को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन हि0प्र0 वर्ष 1999 की मानक दरों पर लेबर प्रीमियम के अनुसार बढ़ौतरी करके आंका गया व भुगतान को उचित ठहराया गया है, परन्तु इस कार्य मूल्यांकन से नियमानुसार वांछित 10 प्रतिशत लाभ तथा 5 प्रतिशत ओबरहैड चार्जिज की कटौती नहीं की गई है, परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में मस्ट्रौल पर नियुक्त मजदूरों को उनके द्वारा किए गए कार्य से ₹62769 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–6** पर दिया गया है। अतः नियमानुसार कटौती न करके कार्यप्रगति के साथ भुगतान को उचित न ठहराने के कारण स्पष्ट किए जाये व किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये, अन्यथा अधिक किये गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये व भविष्य में नियमों की अनुपालना करके ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(ङ) क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार (voids) की कटौती न करने के कारण ₹1454 का अधिक भुगतान करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी, उसमे से 10 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 की बजरी पर 5 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती करने के परान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जोकि **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है, के अनुसार बजरी पर 5 प्रतिशत की दर पर voids की कटौती नहीं की गई थी, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता को ₹1454 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः किये गये अधिक भुगतान को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(च) निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की खपत का अभिलेख न रखना

ग्राम पंचायत, गुम्मा के मनरेगा के स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे सीमेंट, सरिया, रेत बजरी इत्यादि की आपूर्ति हेतु लाखों रूपये की राशि व्यय की जा रही है तथा क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके स्टॉक को आबंटित करके अन्तशेष को शून्य किया जा रहा है, परन्तु स्टॉक किसे दिया गया उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई है और स्टॉक को लेने वाले के हस्ताक्षर भी स्टॉक रजिस्टर में नहीं करवाए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त सामग्री की वास्तविक खपत से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किए जा रहे हैं, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य हेतु कितनी सामग्री की खपत हुई है तथा किसी तिथी विशेष को कितनी मात्रा शेष थी। इस प्रकार अभिलेख को उचित प्रकार से तैयार न करने के कारण स्टॉक में दु:र्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक से जारी होने वाले सामान की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा उसकी

वास्तविक खपत व अन्त शेष का भी अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(छ) अनुदान की ₹1.00 लाख को वापिस लौटाना

ग्राम पंचायत, गुम्मा की मनरेगा की रोकड़ वही के पृष्ठ–114 का अवलोकन करने पर पाया कि खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा से दिनांक 12.7.2013 को आर0टी0जी0एस0 द्वारा अनुदान के रूप में ₹100000 प्राप्त हुई थी, परन्तु उक्त राशि को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कारण के दिनांक 17.7.2013 को आर0टी0जी0एस0 द्वारा वापिस खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा को लौटा दिया था। अतः उक्त अनुदान की राशि को बिना किसी कारण के लौटाने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए।

15 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्ष :–** लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 12/2016–खण्ड–1–5228–5231 दिनाँकः 03.10.2016 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत गुम्मा, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.